www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 25 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

पढ़ना मस्तिष्क के लिए वैसा ही है, जैसा शरीर के लिए व्यायाम

महाराष्ट्र सरकार का भविष्य

आनन-फानन बनी महाराष्ट्र की नई सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे दलों को तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी तो इसका एक मतलब यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बहुमत साबित करने की तैयारी के लिए कुछ और समय मिल गया। किसी के लिए भी कहना कठिन है कि उच्चतम न्यायालय आवश्यक दस्तावेजों को देखने के बाद क्या आदेश देता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वह फड़नवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देशित कर सकता है। देखना है कि इस सूरत में वह फड़नवीस सरकार को कितने समय की मोहलत देता है? उच्चतम न्यायालय का फैसला जो भी हो, अभी यह जानने का कोई उपाय नहीं कि किसका पलड़ा भारी है? भले ही अजीत पवार के साथ आए विधायकों में से अधिकांश शरद पवार के पास लौट गए हों, लेकिन यह कहना कठिन है कि बहुमत परीक्षण की स्थिति में वे किसके हिसाब से चलेंगे-शरद पवार के हिसाब से या अजीत पवार के हिसाब से? इसे लेकर संशय इसलिए भी है, क्योंकि जहां शरद पवार खेमे के लोग कह रहे हैं कि करीब-करीब सभी विधायक उनके साथ हैं वहीं अजीत पवार कह रहे हैं कि उनकी सरकार बहुमत साबित करने में समर्थ रहेगी। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि चाचा शरद पवार का आशीर्वाद उनके साथ है। पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फड़नवीस सरकार को सहारा देने में अजीत पवार के साथ निर्दलीय विधायकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति चाहे जो शक्ल ले, जो लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की बेमेल सरकार बनते देखकर राहत की सांस ले रहे थे वे अजीत पवार संग भाजपा की सरकार को लेकर शिकायत दर्ज कराने के अधिकारी नहीं रह गए हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि भाजपा से शिवसेना की दगाबाजी के साथ ही महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ से सरकार बनना सुनिश्चित हो गया था। यह सही है कि शिवसेना के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में भी अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बनते, लेकिन शायद उन्होंने यह पाया कि उस सरकार की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ज्यादा स्थिर होगी। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि वह शरद पवार की छत्रछाया से बाहर आने का अवसर खोज रहे थे। उनकी राजनीतिक रणनीति और महत्वाकांक्षा का जो भी हश्र हो, शिवसेना के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राजनीतिक नैतिकता का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। सब जानते हैं कि इन दलों के नेता जो कर रहे थे वह घोर अवसरवाद ही था।

शिक्षकों का प्रदर्शन

उत्तराखंड में शिक्षकों की ग्रेडिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी। शासन ने इस संबंध में शिक्षा महकमे को कार्रवाई करने को कहा है। प्रदर्शन के लिए बोर्ड परीक्षा के स्थान पर मासिक परीक्षा को आधार बनाया जाएगा। यह अच्छा कदम है। इससे विद्यालयों में शैक्षिक माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। अभी तक माध्यमिक शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा के परिणामों से किया जाता रहा है। वहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का आकलन विद्यालयों में छात्रों के सतत एवं व्यापकमूल्यांकन के आधार पर करने पर जोर दिया गया। बावजूद यह पैटर्न कामयाब नहीं हो सका। इसके स्थान पर अब मासिक परीक्षा के प्रदर्शन से शिक्षकों का मूल्यांकन किए जाने से कक्षाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और अच्छे परिणाम देने के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा। शासन ने निजी विद्यालयों में मासिक परीक्षा की तर्ज पर ही सरकारी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू किया है। अच्छी बात ये है कि मासिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव भी किया गया है। पहले केंद्रीयकृत तरीके से तैयार किए जा रहे प्रश्नपत्र और विद्यालयों तक पहुंचाने और फिर मासिक परीक्षा कराने के तरीके में कई तरह की खामियां सामने आ चुकी हैं। इस मुद्दे पर शासन स्तर पर भी मंथन हो चुका है। इसके बाद ही महकमे को मासिक परीक्षा के आधार पर ग्रेडिंग देने का फार्मूला तैयार करने को कहा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बेहतर परिणाम आएगा। खासतौर पर विद्यालयों में पठन-पाठन पर जोर देने वाले और अध्यापन को सरल व सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक व नई पहल करने वाले शिक्षकों को इस कदम से स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस योजना में सर्वश्रेष्ठ चिह्नित होने वाले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि अच्छे शिक्षकों की कारगर शिक्षण विधि का लाभ अन्य शिक्षक भी उठा सकें। अभी तक सरकार और महकमा दोनों ही स्तर पर अच्छे शिक्षकों का मूल्यांकन और उन्हें प्रोत्साहित करने को लेकर उत्साह नहीं दिखाया गया है। शिक्षकों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार से कुछ चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित कर इतिश्री की जाती रही है। मासिक परीक्षा के बहाने शिक्षण कार्य में यदि अपेक्षित सुधार होता है तो इसे सराहा जाना चाहिए। हालांकि देखना यह भी होगा कि यह प्रयोग जमीन पर उतरता भी है या सिर्फ रस्म अदायगी साबित होकर रह जाएगा।

लोक उत्सव बने संविधान दिवस

हृदयनारायण दीक्षित

26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। संविधान मानने और जानने में ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निहित है

संविधान भारत का राजधर्म है। संविधान का निर्माण 1946 में गठित संविधान सभा ने किया था। सभा ने विभिन्न विषयों पर 17 समितियां गठित की थीं। सभाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया, संचालन सहित चार समितियों के सभापति थे। इसी तरह संघीय विधान सहित तीन समितियों के सभापति पं. नेहरू थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक आदि मामलों की समिति के सभापति थे। प्रारूप समिति के सभापति डॉ. बीआर आंबेडकर का काम विशिष्ट था। डॉ. आंबेडकर ने ही संविधान पारण का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। इस प्रकार 26 नवंबर, 1949 की तिथि भारतीय गणतंत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व की है। इस ओर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ध्यान गया। मुंबई में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास करते हुए मोदी ने 11 अक्टूबर, 2015 को एलान किया कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंगलवार को वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी इसी प्रयोजन के लिए 26 नवंबर को विशेष सत्र आयोजित होगा।

संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन कई अर्थों में यह विश्व के अन्य संविधानों से भिन्न है। इसकी उद्देशिका विशिष्ट है। इसके अनुसार संविधान की सर्वोपरिता का मुख्य शक्ति स्रोत 'हम भारत के लोग' हैं। 'हम भारत के लोगों' ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित व अंगीकृत किया है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, समता व बंधुता के राष्ट्रीय स्वप्न हैं। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से अनुभव लिए। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा ली। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश परंपरा का अनुभव है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुभव हैं। वैसे प्राचीन भारत में लोकतंत्र व नीति निदेशक तत्वों जैसी धारणा पहले भी थी। यह बात संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने ही कही थी। अन्य देशों से अलग भारत के संविधान में प्रशासनिक उपबंध भी हैं। नीति निदेशक तत्व खूबसूरत निर्देश हैं। संविधान में मूल कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों का दायरा बड़ा है, वैसे ही मूल कर्तव्यों की व्यापकता भी है।

राजनीतिक तंत्र में मूल अधिकारों के प्रति सजगता जरूरत से ज्यादा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। यह हमारे संविधान का मूलरस है, लेकिन प्रायः इसका दुरुपयोग होता है। विधायी सदनों में असीम वाक् स्वातंत्र्य है, लेकिन संसदीय सदनों का शोर आहतकारी है। अधिकार भोग के साथ कर्तव्य पालन भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान (अनुच्छेद 51ए) में मूल कर्तव्यों की सूची है। पहला कर्तव्य है-'संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।' मगर तमाम राजनीतिक सामंत संविधान का आदर नहीं करते। दूसरा कर्तव्य सांस्कृतिक है, 'स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें।' लेकिन यहां वंदे मातरम पर भी विवाद हैं। तीसरे कर्तव्य में देश की एकता, संप्रभुता व अखंडता की रक्षा है, लेकिन विश्वविद्यालयों में भी भारत के टुकड़े करने की धौंस है। सार्वजनिक संपदा की सुरक्षा भी मूल कर्तव्य है। यहां तमाम आंदोलनकारी बसों व दफ्तरों में आग लगाते हैं। पर्यावरण, संरक्षण वाले मूल कर्तव्य की घोर उपेक्षा है। सामासिक संस्कृति की परंपरा का संवर्धन भी एक कर्तव्य है। 'सामासिक संस्कृति' शब्द के भ्रम को सर्वोच्च न्यायालय ने दूर किया था 'कि सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। यही भिन्न जनों को एक सूत्र में बांधती है।' न्यायालय की इस व्याख्या की भी उपेक्षा है।

अवधेश राजपूत

संविधान निर्जीव शब्द संचय नहीं होता। प्रत्येक संविधान का उद्देश्य और दर्शन भी होता है। भारत के संविधान का उद्देश्य 'हम भारत के लोग' की ऋद्धि, सिद्धि और समृद्धि है। संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को संविधान का उद्देश्य संकल्प पारित किया था। उसमें कहा गया था कि 'यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए पूरा सहयोग देगी।' यहां प्राचीन भूमि का अर्थ प्राचीन दर्शन व संस्कृति ही है। विश्व कल्याण के लिए भारत की तत्परता का संविधान में उल्लेख महत्वपूर्ण है। संविधान पूर्ण दस्तावेज है। उसमें संशोधन की जटिलता नहीं है। डॉ. आंबेडकर ने सभा में ठीक ही कहा था, 'जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना है। यदि वे निर्वाचित संसद में दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण असंतोष में उनके साथ है।'

संविधान स्वयं शक्ति संपन्न नहीं होता। डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में ठीक कहा था, 'संविधान चाहे जितना अच्छा हो यदि उसे संचालित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित ही बुरा हो जाता है।' डॉ. प्रसाद ने कहा था, 'संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर शासन करेंगे।' इसका दुरुपयोग भी हुआ है। राज्य विधानसभाओं को भंग करने वाले अनुच्छेद 356 का लगभग सवा सौ बार दुरुपयोग हुआ। 1975 में की गई आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 353 का घोर उल्लंघन थी। न्यायालयों की शक्ति घटाई गई। न्यायिक पुनरावलोकन को कमतर किया गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की पवित्रता नष्ट की गई।

संविधान प्रवर्तन के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संविधान में अनेक संस्थाएं हैं। उसमें सभी समस्याओं के समाधान हैं। संविधान के प्रवाह में भारतीय लोकतंत्र ने विश्व प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन देश का बहुमत संविधान से सुपरिचित नहीं है। बहुमत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्राधिकार से भी परिचित नहीं है। समान नागरिक संहिता का संवैधानिक नीति निर्देश भी अल्प ज्ञात है। विधायिका के कामकाज की छवि अच्छी नहीं है। संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 से भी कम लोग परिचित थे। उसके निरसन के बाद ही इस उपबंध की जानकारी राष्ट्रव्यापी हुई। राजनीतिक दलों के तमाम लोग भी संविधान नहीं जानते। प्रधानमंत्री की पहल पर संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में व्यापक होना चाहिए। उच्च शिक्षा में संविधान का ज्ञान अनिवार्य करने की भी जरूरत है। डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने सभा में कहा था, 'आखिरकार संविधान का क्या अर्थ है? यह राजनीति का व्याकरण है। राजनीतिक नाविक के लिए कुतुबनुमा। वह प्राणशून्य है। हम उसे और उपयोगी बना सकते हैं।' संविधान मानने और जानने में ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निहित है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आदर्शों से दूर होती राजनीति

देश ने दो अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया। अनेक कार्यक्रमों में विद्वान वक्ताओं विशेषकर नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों की समसामयिक आवश्यकता को निरुपित किया और जनता को उनके बताए मार्ग पर चलने की सलाह दी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद जनता को यह देखने का एक और अवसर मिला कि देश के राजनेता गांधी जी के सिद्धांतों का कितना पालन करते हैं! हरियाणा में दो धुर-विरोधी दल साथ आ गए, मगर मंत्रिपरिषद बनाने में सहमति 17 दिन बाद ही बनी। सामान्य जन यही मानते हैं कि गठबंधन सरकारों में यह देरी मलाईदार महकमों को लेकर ही होती है। ऐसे वक्त पर गांधी जी की चर्चा नहीं होती। हरियाणा के बाद राजनीति में स्थायी भाव बन चुके पदलोलुपता, स्वार्थपरकता और पुत्रमोह जैसे तत्व बेहिचक और बेशर्मी से महाराष्ट्र में फिर एक बार सामने आए हैं। इसके झंझावात में प्रजातंत्र के मूल्य और सिद्धांत पूरी तरह बिखर गए हैं। स्वच्छता अभियान में भारत जितना आगे बढ़ा, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुपालन में वह उससे कई गुना अधिक नीचे आ गया। इन दो राज्यों में जो कुछ वहां के नेताओं ने देश और समाज के समक्ष रखा है, वह हर उस व्यक्ति को शर्मसार करता है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है। मुझे आश्चर्य होता है जब कोई दल अपने सौ-पचास निर्वाचित प्रतिनिधियों को किसी होटल में पहुंचाता है। वे सब बंधक की स्थिति स्वीकार कर लेते हैं। कोई विरोध नहीं करता है। वे अनुशासन का नाम लेते हैं, मगर आत्मसम्मान को तिलांजलि देने में हिचकते नहीं। पूरे देश में यह भी चर्चा का विषय बन चुका है कि परिवारवाद और पुत्र मोह के कारण कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुके हैं, मगर न वे स्वयं सीख रहे हैं न ही अन्य उनसे सबक ले रहे हैं।

सभी को सरकार में शामिल होना है। इसी कारण केंद्र में भी जोड़तोड़ की सरकारें बनीं और बिखरीं। राज्यों में आयाराम-गयाराम से प्रारंभ हुआ सिलसिला खूब फला-फूला। जिन पर मूल्यों को स्थापित करने और गांधी जी की विरासत संभालने की जिम्मेदारी थी, वे स्वयं इस खेल में भागीदार बन गए। जनता देखती रह गई। हालांकि पिछले चार-पांच दशकों में लोगों की राजनीति की समझ बढ़ी है। अपने अधिकारों का न मिलना और हर स्तर के चयनित प्रतिनिधि के विशेष अधिकारों और सुविधाओं का लगातार बढ़ते जाना उनको खटकने लगा है। चयनित युवा प्रतिनिधियों के समक्ष बड़ी चुनौती है। क्या वे अपने वरिष्ठों का अस्वीकार्य आचरण भी चुपचाप सहन करेंगे या अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं को साकार करने में स्वार्थ रहित सेवा भाव का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? उनके सामने दो विकल्प हैं। वे भी गांधी जी को भुला दें। केवल दो अक्टूबर को प्रतिवर्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने की रस्म पूरी करते रहें। या उनके साहित्य का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करें। उसे आज के बदले संदर्भ में समझें और अपनी क्षमता के अनुरूप उसे आचार-विचार में शामिल करें। आज चरखे से सूत कातने का एक विकल्प होगा कंप्यूटर का वह कौशल सीखना जो अंतिम व्यक्ति के जीवन को सार्थक और गरिमामय बनाने में उपयोग में आ सके। अन्य भी हो सकते हैं। देश में आज भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका सार्वजनिक जीवन खुली किताब है। राजनीति में यह संख्या बढ़नी चाहिए और उभरनी चाहिए।

जगमोहन सिंह राजपूत

हमारा राजनीतिक तंत्र ऐसे दलदल में फंस गया है जिसमें 'सत्ता से सेवा' का स्थान 'सत्ता से स्वार्थ' में बदल चुका है

गांधी जी के स्वराज्य की संकल्पना में केवल अंग्रेजों का भारत से आधिपत्य समाप्त करना मात्र ही लक्ष्य नहीं था। उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू पर गहन मनन, चिंतन और विमर्श किया और बिना किसी हिचक के लिखा कि सत्य की खोज में मैंने बहुत से विचारों को छोड़ा है और नई बातें सीखी भी हैं। उनकी तरह हर व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक मोड़ पर यही लगना चाहिए कि उसका अपना विकास रुका नहीं है, मगर अनुभव के साथ गति पकड़ रहा है। जनता में यह धारणा ठोस आधारों पर निर्मित हुई है कि हमारा राजनीतिक तंत्र चुनावों की राजनीति में इतना जकड़ गया है कि उसमें 'सत्ता से सेवा' का स्थान 'सत्ता से स्वार्थ' में परिवर्तित हो गया है। अपेक्षा तो यह थी कि शासन लोक सम्मति से चलेगा। प्रत्येक जनप्रतिनिधि प्रतिपल यह जानने के लिए प्रयत्नशील रहेगा कि उसके क्षेत्र के मतदाता क्या चाहते हैं। वह अपना अधिकतम समय अपने क्षेत्र में ही बिताएगा। उसके आचरण में अपने ही लोगों से निकटता लगातार बढ़ेगी न कि उसकी अनुपलब्धता बढ़ती जाएगी! वे यह समझेंगे कि स्वराज्य का अर्थ आत्म-अनुशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द 'इंडिपेंडेंस' अक्सर सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज्य में नहीं है। भारत में स्वराज्य आने के बहुत पहले ही गांधी जी ने उसके मूल आधार और शक्ति को समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वराज्य तो हमारी सभ्यता की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है। स्वराज्य की रक्षा केवल वहीं हो सकती है जहां देशवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे देशभक्तों की हो जिनके लिए अपने देश की भलाई का ज्यादा महत्व हो। उनकी अपेक्षा थी कि स्वराज्य हमें और हमारी सभ्यता को 'अधिक शुद्ध और मजबूत' बनाएगा। भारत की सभ्यता के मूल तत्व नीति पालन यानी सदाचरण को वे सर्वोच्च स्थान देते थे।

स्वराज्य में सर्वहारा, संबंध, समता, समन्वय, संवाद, सम्मान और सेवा अनिवार्य तत्व हैं। इन्हें ठुकराकर की जाने वाली राजनीति उसी प्रकार दूषित हो रही है जैसे स्वतंत्रता के बाद नदियां और वायु प्रदूषित होती गईं। यदि समय रहते आवश्यक उपाय किए जाते तो आज हवा और पानी जहरीले नहीं हो गए होते। नई पीढ़ी के भविष्य में जहर नहीं घुल रहा होता। सभी देख रहे हैं कि राजनीति में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर जितना ध्यान उसे रोकने के लिए दिया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। क्या अभी भी उचित दिशा परिवर्तन संभव है? उत्तर है सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब उस सत्ता का दुरुपयोग होता हो तो सब लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जाता है। देश को इस पर विचार करना ही होगा।

(लेखक शिक्षा और सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भोग और त्याग

मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक पदार्थों की परम आवश्यकता है। बिना इन पदार्थों के भोग के जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। भौतिक सामग्री का उपयोग हम किस भावना से कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। वेदों में भी मनुष्य जीवन को सम्यक रूप से चलाने के लिए भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए कहा गया है कि संसार की समस्त वस्तुओं का प्रयोग त्याग भाव से करो। यानी त्याग और भोग साथ-साथ। त्यागी तो योगी होता है और भोगी संसारी। वास्तव में भोग और योग दोनों हमारे भीतर ही हैं। आवश्यकता है दोनों में संतुलन बैठाने की। हम त्याग भी करते हैं और भोग भी, लेकिन हम कितना त्याग करते हैं और कितना भोग यही बड़ा प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु का उपभोग करते हुए हमारी भावना त्याग की होनी चाहिए। जितनी भौतिक सामग्री से हमारा जीवन सम्यक रूप से चले उतनी का ही भोग करो। यही आनंद का नैतिक सूत्र है। संसार में रहते हुए संपूर्ण भौतिक सामग्री का संग्रह करो, परंतु दूसरों के हितों को देखते हुए त्याग की भावना को आत्मसात करते हुए उसका प्रयोग करो।

हमारी परंपरा भी इसी सिद्धांत की अनुगामी रही है कि भोग उतना ही होना चाहिए जितना जीवन के लिए जरूरी होता है। केवल भोगों में आसक्त हो जाना राक्षस प्रवृत्ति है। भोग जब तक त्याग के दायरे में रहता है तब तक वह मनुष्य के लिए हितकर होता है। जब त्याग की भावना समाप्त हो जाती है, उसी समय मनुष्य की लालसा विशाल रूप ले लेती है, जिसका कोई अंत नहीं है। भोग की यही भावना संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एवं स्वयं मनुष्य के आनंद में बाधक बनती है। अत्यधिक भोग भोगने की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। इसके विपरीत त्याग की भावना मनुष्य को मानसिक आनंद एवं शांति की प्राप्ति कराती है। त्याग पूर्वक भोग करने वाला मनुष्य अपने जीवन से सदा संतुष्ट रहता है। भोग एवं त्याग का समन्वय ही संपूर्ण विश्व को शांति पथ की ओर अग्रसर करता है।

आचार्य दीपचंद भारद्वाज

कठपुतली कला का संरक्षण जरूरी

देवेंद्रराज सुथार

प्राचीन धरोहर कठपुतली कला का जादुई संसार सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन के अभाव में सिमटता जा रहा है

कठपुतली कला द्वारा महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे सम-सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने लोगों की गलत धारणाओं को बदलकर उन्हें सही दिशा एवं मार्गदर्शन देने का काम किया है, लेकिन कद्रदानों की कमी और सरकारी संरक्षण के अभाव में यह कला अब दम तोड़ रही है। आज यह संकट के दौर से गुजर रही है। वस्तुतः कठपुतली कलाकार अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर अन्य कामकाज करने लगे हैं।

आमतौर पर इन कठपुतलियों का सिर लकड़ी या पेपरमेशी का होता है, उसी के हिसाब से उनका धड़ होता है। इनके हाथ-पैर लकड़ी के या कपड़े में रुई भरकर बनाए जाते हैं। इनके हर अंग से एक पतली तथा लंबी डोरी बंधी होती है, जिसका अंतिम सिरा पुतली चालक कलाकारों के हाथ की अंगुलियों से बंधा होता है। अपनी अंगुलियों के जादू से ही ये कलाकार इस डोर को हिलाकर कठपुतलियों को अपने इशारे पर नचाते हैं।

यह चिंताजनक है कि आज महानगरों में रहने वाले अधिकांश बच्चों एवं युवाओं को कठपुतली के खेल के बारे में जानकारी तक नहीं है। अभिभावकों के पास समय ही नहीं है कि वे बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक विरासत एवं लोककलाओं से परिचित करवाएं। मोबाइल और कंप्यूटर से चिपके बच्चे भी अब संस्कृति, रीति-रिवाजों एवं त्योहारों में कोई विशेष रुचि लेना पसंद नहीं करते हैं। उनकी नवीन चीजों को जानने एवं समझने की प्रवृत्ति का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हर समय चिपके रहने के कारण दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। सवाल है कि आज जब विदेशी पर्यटक हमारी लोककलाओं को देखने, जानने एवं समझने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं तो हम आखिर क्यों अपनी कलाओं से मुंह मोड़ रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस लुप्त होती कला के प्रति सरकार संजीदा होकर शीघ्र संरक्षण के लिए प्रयास करे एवं उचित कदम उठाए। स्कूलों और महाविद्यालय में यह खेल दिखाकर युवा पीढ़ी का ध्यान इस कला की ओर खींचा जा सकता है। गांवों एवं कस्बों में धार्मिक आयोजनों एवं मेलों के अवसर पर इस कला का मंचन सरकारी स्तर पर करवाकर भी इस कला के प्रति मोह उत्पन्न किया जा सकता है।

हम जितना जल्दी हो समझें कि किसी भी राष्ट्र की लोककला एवं संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है। लोककला से ही लोकधर्मिता का भाव उत्पन्न होता है। जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतःचेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम् शिवम् सुंदरम् से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। ये लोककलाएं लोक-शिक्षण, सामाजिक सरोकार, ऐतिहासिक घटना, प्रसंग और भाईचारे का संदेश देने के साथ ही लोगों में जागृति लाने का सशक्त माध्यम भी हैं। इसलिए इन्हें सहेजकर रखना बेहद जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चुनावी चंदे का सवाल

चुनावी चंदे की बेहतर व्यवस्था शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने भारतीय चुनावों में धन के इस्तेमाल, इनसे जुड़े चुनावी बांड तथा इस पर जारी वर्तमान विवाद की सम्यक समीक्षा की है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बांड शुरू करने की घोषणा की थी। यह ठीक है कि चुनावी बांड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन बैंक के पास उनकी पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा बांड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होता है। राजनीतिक दलों को भी चुनाव आयोग को चुनावी बांड से मिले धन की जानकारी देनी होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चुनावी बांड से भले ही राजनीतिक भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाना संभव नहीं हुआ हो, लेकिन कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है, इस बात का पता तो अवश्य ही चल जाएगा। चुनावी चंदे को और पारदर्शी बनाने के एक उपाय के रूप में चुनावी बांड से जुड़ी गोपनीयता को यदि खत्म कर दिया जाए तो नाम उजागर होने के भय से कई कॉरपोरेट्स चुनावी बांड खरीदने से पीछे हट सकते हैं। हालांकि उस स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की अमेरिका की तरह संयुक्त चुनावी रैली, चुनाव प्रचार के लिए इंटरनेट के बेहतर उपयोग आदि पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल चुनावी खर्च और उससे जुड़े भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर एक सार्थक बहस की आवश्यकता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

चंदन कुमार, देवघर

मेलबाक्स

वाजिब नहीं जेएनयू बंद करने की मांग

जेएनयू बंद होना चाहिए कि मांग करने वाले ना तो आज के बारे में जानते हैं, ना आने वाले कल के बारे में। यदि शरीर के किसी में अंग में बीमारी हो जाती है तो उस अंग का इलाज किया जाता है न कि पूरे शरीर को खत्म कर दिया जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि शिक्षा से देश महान बनता है, पढ़े लिखे लोगों से देश का भविष्य बनता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा देने वाले उपक्रमों को बंद करने की बात करना कहां का औचित्य है! अगर किसी राजनीतिक पार्टी में कोई घोटालेबाज, भ्रष्ट हो तो क्या हम यह कह दें कि पूरी पार्टी व सभी नेता खराब हैं! हर जगह ऐसे चंद लोग पाए जाते हैं, जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए ना कि जूं के डर से घाघरे को फेंकने की बात होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा सस्ती/मुफ्त हो ताकि गरीब से गरीब तक की पहुंच वहां तक हो। एक गरीब के बच्चे भी पढ़ लिखकर अपने घर का एवं देश का उज्ज्वल भविष्य बन सकें।

hemahariupadhyay@gmail.com

हो कड़ी कार्रवाई

आए दिन भारत के किसी ना किसी राज्य तथा महानगर में सीवर की सफाई करते हुए उसकी जहरीली गैस से मौत का सिलसिला जारी है। साल भर में कितनी घटनाएं हो जाती हैं। लगातार ऐसी घटना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो दिल्ली सरकार द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा था कि अब किसी भी सीवर कर्मचारी की मौत नहीं होगी और उसको सीवर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन यदि ऐसा है तो एक बार फिर घटना कैसे हुई? इस मामले में जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

मतदाताओं का अपमान

राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी ने मिलकर सरकार तो बना ली, पर चुनाव लड़ते समय भाजपा को शिव सैनिकों ने और शिवसेना को भाजपा वालों ने भी वोट दिया था। जनता जब अपना बहुमूल्य वोट किसी राजनीतिक दल को देती है तो बहुत ही सूजबूझ के साथ देती है। ऐसे में सत्ता की कुर्सी के लालच में राजनीतिक पार्टियां अपनी मर्जी से आपस मे गठबंधन तो कर लेती हैं, पर साथ-साथ वो उन मतदाता के मतों का दुरुपयोग भी करती हैं, जिन्होंने साथ आई हुई पार्टी की विचारधारा के खिलाफ वोट किया है। यह खेल उन सत्ताधारी नुमाइंदों को भारी पड़ सकता है।

satyamraiw|6304@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।